International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में बाल श्रम नीति और कानून; बाल श्रमको के उन्मूलन में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमका।

डॉ गौरव कुमार गुप्ता
डीन, बा णज्य संकाय
जे.एस. वश्व वद्यालय, शकोहाबाद(फरोजाबाद) यू.पी

अय्याज अहमद
पीएचडी शोधकर्ता
जे.एस. वश्व वद्यालय, फरोजाबाद, यू.पी.

संक्षेप:

बाल श्रम' से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो मान सक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और बच्चों के लए हानिकारक हो; उन्हें (बच्चों को) स्कूल जाने के अवसर से वं चत करके उनकी स्कूली शक्षा में हस्तक्षेप करता है; उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लए बाध्य करता है; या उनसे स्कूल की उपस्थिति को अत्य धक लंबे और भारी काम के साथ संयोजित करने का प्रयास करता है। चु क बाल श्रम को खत्म करने, इसे रोकने और बच्चों के पुनर्वास की दिशा में स क्रय कदम कार्यबल में पहले से लगे हुए हैं। भारत का सं वधान न केवल अनिवार्य प्राथ मक शक्षा को सुर क्षत करता है बल्कि सभी बच्चों के लए, अपने 86वें संशोधन के माध्यम से, शक्षा के अ धकार को एक मौ लक अ धकार बना दिया है। 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लए 86वां संशोधन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसी तारीख को इसके सक्षम कानून के रूप में 'बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शक्षा का अ धकार' अ धनियम, 2009' पारित हुआ। 86वें संशोधन के प्रारंभ से शक्षा हर बच्चे का मौ लक अ धकार हुआ, जिसने भारत को 135 देशों में से एक उन्नत बना दिया है । उत्तर प्रदेश में शक्षा और कौशल वकास की जिम्मेदारी निम्न ल खत वभागों के पास है: प्राथ मक शक्षा निदेशालय, उच्च शक्षा निदेशालय (**DIRHE**), तकनीकी शक्षा निदेशालय (**DTE**), और व्यावसायिक शक्षा और प्र शक्षण निदेशालय (**DVET**)। इसके अलावा, जिला उद्योग केंद्र, पर्यटन वभाग, कृ ष वभाग, जिला ग्रामीण वकास एजेंसी आदि सहित अन्य वभाग स्तरों पर भी कौशल वकास कार्यक्रम आयोजित कए जाते हैं।

मुख्य शब्द: बाल श्रम, पुनर्वास, अ धनियम, ग्रामीण वकास, उत्तर प्रदेश सरकार, उन्मूलन, अ धकार, शक्षा

1. प्रस्तावना:

1.1. बाल श्रम:

बाल श्रम' से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो मान सक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और बच्चों के लए हानिकारक हो; उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वं चत करके उनकी स्कूली शक्षा में हस्तक्षेप करता है; उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लए बाध्य करता है; या उनसे स्कूल की उपस्थिति को अत्य धक लंबे और भारी काम के साथ संयोजित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने सबसे चरम रूपों में, बाल श्रम में बच्चों को गुलाम बनाया जाता है, उनके परिवारों से अलग कया जाता है, गंभीर खतरों और बीमारियों के संपर्क में लाया जाता है, और/या बड़े शहरों की सड़कों पर खुद को बचाने के लए छोड़ दिया जाता है, अक्सर बहुत कम उम्र में। 'काम' के वशेष रूपों को 'बाल श्रम' कहा जा सकता है या नहीं, यह बच्चे की उम्र, प्रदर्शन कए गए काम के प्रकार और घंटों, जिन परिस्थितियों में इसे कया जाता है, और अलग-अलग देशों द्वारा पीछा कए गए उद्देश्यों पर निर्भर करता है। उत्तर देश से दूसरे देश में भी भन्न होता है। देशों के भीतर क्षेत्रों के बीच के रूप में भी भन्न होता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ILO के अनुसार, 'रोजगार में बच्चे' सर्वेक्षण के संदर्भ सप्ताह में कम से कम 1 घंटे के लए 'आ थक गति व धयों में शा मल बच्चों' को संद र्भत करता है। आ थक गति व ध कोई भी गति व ध है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य जोड़ते हैं। कुछ देशों में, यदि कोई बच्चा काम करता है, बच्चे को भुगतान या कसी अन्य प्रकार का इनाम मलता है या नहीं, तो बच्चे को नियोजित माना जाता है। **ILO** कन्वेंशन नंबर 182 के अनुसार, बाल श्रम (**WFCL**) के सबसे खराब रूपों में शा मल हैं ।

(ए) गुलामी के समान सभी प्रकार की दासता या प्रथाएं जैसे बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण बंधन और दासता और जबरन या अनिवार्य श्रम, जिसमें सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लए बच्चों की जबरन या अनिवार्य भर्ती शा मल है ।

(बी) वेश्यावृत्ति के लए, अश्लील साहित्य के उत्पादन के लए या अश्लील प्रदर्शन के लए एक बच्चे का उपयोग, खरीद या यौन संबंध;

(सी) अवैध गति व धयों के लए एक बच्चे का उपयोग, खरीद या बंद करना, वशेष रूप से दवाओं के उत्पादन और तस्करी के लए जैसा क परिभा षत कया गया है ।

(डी) काम, जो इसकी प्रकृति या परिस्थितियों से बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचाने की संभावना है ।

1979 में, गुरुपदस्वामी स मति ने कसी भी प्रकार की नीतिगत कार्रवाई के लए 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में बाल श्रम की भयावहता का सटीक आकलन करने के लए इस तरह का अंतर महत्वपूर्ण है। लटेन (2000) के अनुसार, 'बाल कार्य' को एक सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल कया जाना चाहिए और कसी भी प्रकार के रोजगार संबंध में कए जा रहे कसी भी प्रकार के काम को संद र्भत करना चाहिए। काम की अवधारणा को तब नौकरी में शारीरिक (या मान सक) भागीदारी के ववरण के रूप में कार्य करना चाहिए। यह एक ऐसी गति व ध है जो हानिकारक होने के बजाय बच्चे के रचनात्मक समाजीकरण में उसके लए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी ओर, बाल श्रम को आम तौर पर ऐसे काम के रूप में परिभा षत कया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, क्षमता और गरिमा से वं चत करता है, जो उनके मान सक वकास और शारीरिक वकास में हानिकारक है।

1.2. भारत में बाल श्रम नीति और कानून:

भारत सरकार का बाल श्रम के मुद्दे पर हमेशा एक दृढ़ दृष्टिकोण रहा है । बाल श्रम को खत्म करने, इसे रोकने और पहले से बच्चों के पुनर्वास की दिशा में स क्रय कदम कार्यबल में लगे हुए हैं। भारत का सं वधान न केवल अनिवार्य प्राथ मक शक्षा को सुर क्षत करता है । वरन सभी बच्चों के लए, अपने 86वें संशोधन के माध्यम से, शक्षा के अ धकार को एक मौ लक अ धकार बना दिया है 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लए। 86वां संशोधन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसी तारीख को इसके सक्षम

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कानून के रूप में 'बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शक्षा का अ धकार' अ धनियम, 2009'। 86वें संशोधन के प्रारंभ ने शक्षा हर बच्चे का मौ लक अ धकार भारत को 135 देशों में से एक उन्नत बना दिया है ।

सरकार ने काम से निकाले गए बच्चों के पुनर्वास के लए व भन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (**NCLP**) की शुरुआत की गई थी ।

वर्ष 1988, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति से उत्पन्न एक बड़ी कार्य योजना के एक भाग के रूप में। तब से फर, इसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कई प्रमुख पहलों द्वारा सम र्थत कया गया है बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से देश में एनसीएलपी वशेष प्र शक्षण की स्थापना शा मल है ।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम (आरटीई अ धनियम), 2009 में निर्दिष्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा, बच्चों को शक्षा और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना और उन्हें मुख्यधारा में शा मल करने के लए तैयार करना है ।

एनसीएलपी योजना के तहत औपचारिक शक्षा प्रणाली एवं सर्व शक्षा अ भयान (एसएसए) कार्यान्वयन चालू है।यह नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 के आधार पर ढांचा, प्रदान करता है। सबसे वं चत समूहों के बच्चों की शक्षा के लए असाधारण व्यवस्था, जैसे बाल श्रम। 2001 के बाद से, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 32 म लयन से घटकर 2012-13 में 2.2 म लयन हो गई है । भले ही सरकार द्वारा बच्चे को रोकने के प्रयास कए गए हैं । श्रम और समस्या का जवाब, बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और काम कर रहे हैं ।

1.3. "बाल श्र मको" के लये संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 21ए
शक्षा का अ धकार
सरकार द्वारा कानून द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे नि:शुल्क और गैरउम्र शक्षा प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 24
कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध।
चौदह वर्ष से कम आयु के कसी भी बच्चे को कसी कारखाने या वाहन या कसी अन्य में जाने की अनुमति नहीं है। खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं कया जाएगा।

अनुच्छेद 39
सरकार, वशेष रूप से, श्र मकों, पुरुषों और के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लए अपनी नीति अपनाएगी। गैर-शोषण और आ र्थक जरूरतों के कारण महिलाएं और छोटे बच्चे नागरिकों को उनकी उम्र और ताकत के लए अनुपयुक्त उद्यम में प्रवेश करने से रोकने के लए क्लियर करना होगा।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बाल श्रम पर संवैधानिक प्रावधान और नीति बनाने के लए व भन्न स मतियों का गठन बाल श्रम अ धनियम, 1938 की सफारिशों के अनुरूप, बाल रोजगार अ धनियम, 1938 में संशोधन करके, (निषेध और वनियमन) अ धनियम, 1986 बनाया गया था। खतरनाक व्यवसाय करना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस प्र क्रया में नियोजित करने पर भी रोक लगाती है। और अन्य यह नियोजन में बच्चों की कार्य परिस्थितियों को वनिय मत करने का भी प्रयास करता है। अ धनियम के अनुसूची के भाग ए और बी में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्र क्रयाओं में बच्चे (अनुलग्नक ए) यह अ धनियम रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

अ धनियम में बाल श्रम तकनीकी सलाहकार स मति का भी प्रावधान है, जो अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्र क्रयाओं में लाइसेंस दरों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। इस लए, तकनीकी वशेषज्ञों का एक निकाय है। स मति के अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो 10 से अ धक न हों ।

सदस्य जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कए जाते हैं। 1999-2004 के दौरान अ धनियम तकनीकी सलाहकार स मति की सफारिशों की अनुसूची में सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसायों की संख्या फर प्र क्रयाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 13 और 18 से 57 कर दी गई।

बच्चों को रोजगार से बचाने वाले संवैधानिक और वधायी प्रावधान इसकी गूंज 1987 में घो षत राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में भी देखने को मली। इस नीति में बाल श्रम का ख्याल रखा गया है मुझे व्यापक, समग्र और एकीकृत तरीके से संबो धत कया। इस नीति के तहत नियोजन बहुआयामी है और इसमें मुख्य रूप से शा मल हैं:

(i) एक व्यवस्थित कार्य योजना
(ii) बच्चों के परिवारों के लाभ के लए सामान्य वकास कार्यक्रम पर ध्यान दें करते हुए; और
(iii) बाल श्रम की उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना।

इस नीति के अनुसरण में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को हाथ में लेगा (एनसीएलटी) इस योजना को लागू कर रहा है, जो एक परियोजना आधारित कार्रवाई है एक शेड्यूल है। कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की योजना में परियोजना के क्रयान्वयन की निगरानी करना। कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना स मतियों की स्थापना का प्रावधान है।

परियोजना खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में काम करने वाले बच्चों को व शष्ट स्कूली बच्चे बनाने का लक्ष्य रखता है उनके माध्यम से पुनर्वास और पुनर्वास कया जाना है और अंत में उन्हें औपचारिक रूप से होना है। शक्षा व्यवस्था को मुख्य धारा में लाना। प्रत्येक वशेष स्कूल में 250 बच्चों का नामांकन क्या यह प्रत्येक वशेष छात्र के लए दो व्यावसायिक प्र शक्षक और एक व्यावसायिक प्र शक्षक है? का प्रावधान है । प्रत्येक बच्चा रु. 100-100 रुपये प्रति माह का वजीफा प्रदान कया जाता है। वही बच्चे से बचत खाते में जमा कया जाता है। एक बच्चे को मुख्य धारा में रखते हुए सहेजा गया के रूप में उसे भुगतान कया जाता है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन, गायन प्र शक्षण और स्वास्थ्य जांच योजना का एक अनिवार्य घटक है।

कार्यक्रम के तहत चन्हित खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में नियोजित बच्चे 7वीं योजना के दौरान 12 राष्ट्रीय बाल दिवस उनके पुनर्वास और पुनर्वास की दृष्टि से श्रम परियोजनाएं शुरू की गईं। ये 12 एनसीएलटी आंध्र प्रदेश (जगनुएत और माकुर), बिहार (गढ़वा), मध्य प्रदेश (मंसूर), महाराष्ट्र (ठाणे), उड़ीसा

(सम्भलूर), राजस्थान (जयूर), त मलनाडु (लवकाडी) और उत्तर प्रदेश (वाराणसी- मजूर-भोई, मुराबाबाद, अलीगढ़ और फरोजाबाद)। बाद में, खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में कार्यरत बच्चों को वशेष दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के माध्यम से पुनर्वास और पुनर्वास का एक वशाल कार्यक्रम 15 अगस्त 1994 को शुरू कया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऐतिहा सक चकबंदी या चका (स वल) संख्या 465/86 . में तन्नु में खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों का पुनर्वास दिनांक 10 दिसंबर, 1996 और उनके पुनर्वास के बारे में कुछ निर्देश भी (अनुलग्नक-बी) में दिए है, माननीय न्यायालय ने गैर-खतरनाक पेशों के तरीके पर भी निर्देश दिए हैं कामकाजी बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को वनिय मत और सुधारा जाना चाहिए।

सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप और बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, 12 चालू परियोजनाओं के अलावा 64 क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 9 योजना के अंत तक, एनसीएलटी योजना का वस्तार 13 राज्यों के 100 जिलों में कर दिया गया था।

हालां क सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बाल मजदूरी की समस्या मुख्य रूप से है आ र्थक अभाव और निरक्षरता के परिणाम अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भारत का 2001 में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1991 में 1.13 करोड़ की रा श थी। इसकी तुलना में हमारे देश में 1.26 करोड़ कामकाजी बच्चे (5-14 वर्ष) थे। बाल श्र मक आबादी उत्तर प्रदेश में राज्यवार वतरण से देश में सर्वा धक बाल श्रम बल (0.19 करोड़) जनसंख्या के बाद आंध्र प्रदेश (0.14 करोड़), राजस्थान (0.13 करोड़) और बिहार (0.10 करोड़) हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अ धक बाल श्रम कृ ष और कृ ष, कृ ष श्र मक पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे सहायक रोजगार में लगे हुए हैं।

समस्या की भयावहता को देखते हुए 10वीं योजना में बाल श्रम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस उद्देश्य के लए नीतियां और कार्यक्रम अ धक फोकस के साथ जारी रहेंगे। सरकार मौजूदा 100 एनसीएलटी को 10वीं योजना के दौरान जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसने 150 अतिरिक्त एनसीएलटी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस लए, 10वीं योजना में यह योजना 20 राज्यों के 250 जिलों को कवर करेगी। सभी 150 अतिरिक्त जिले की पहचान की गई है और नए चन्हित जिलों में योजना को लागू करने के लए सभी प्रयास पहले से ही कए जा रहे हैं। एनसीएलटी योजना के तहत लए गए जिलों की सूची है। योजना के वस्तार के अलावा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के लए इसके मानदंडों को भी संशो धत और मजबूत कया गया है। तदनुसार, पछली योजना अवधी में रुपया, 10वीं योजना के लए परिव्यय भी 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 602 करोड़ हो गए गया है ।

10वीं योजना अव ध के दौरान यह सुनिश्चित कया गया है क चन्हित खतरनाक प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान कए गए व्यवसायों और प्र क्रयाओं में नियोजित सभी बच्चों के लए (कए गए सर्वेक्षण में) पुनर्वास और औपचारिक शक्षा प्रणाली की पहचान की गई है। सभी बच्चों को मुख्यधारा में लाना है। सरकार की प्रतिबद्धता प्रभावी प्रस्तुति और फर जिला स्तर फर बाल श्रम को इस तरह मुख्यधारा में लाना होगा क दसवीं योजना अव ध के अंत तक खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

10वीं योजना में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों के लए मानव संसाधन वकास इसे मंत्रालय के शक्षा सर्वेक्षण अ भयान से जोड़कर इसे मजबूत कया गया है। इसके हिस्से के रूप में, औपचारिक वद्यालय के माध्यम से 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बाल श्रम को सीधे मुख्यधारा में लाना लाया जाएगा। 9-14 वर्ष के आयु वर्ग में काम करने वाले बच्चों को एनसीएलटी के वशेष स्कूल प्रदान कए जाते हैं औपचारिक शक्षा को व्यवस्था की मुख्यधारा में लाया जाएगा। इसके अलावा 10वीं नियोजन के दौरान औपचारिक स्कूल प्रणाली को गुणवत्ता और संख्या दोनों के लहाज से मजबूत करना होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य, जिला, मंडल एवं सूक्ष्म स्तर पर चल रही योजनाओं के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों/वभागों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण वकास/सामाजिक न्याय आदि। समयबद्ध तरीके से बाल श्रम के उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लए अ भसरण महत्वपूर्ण होगा।

1.4. उत्तर प्रदेश सरकार की भू मका:

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में शक्षा और कौशल वकास की जिम्मेदारी निम्न ल खत वभागों के पास है: प्राथ मक शक्षा निदेशालय, उच्च शक्षा निदेशालय (**DIRHE**), तकनीकी शक्षा निदेशालय (**DTE**), और व्यावसायिक शक्षा और प्र शक्षण निदेशालय (**DVET**)। इसके अलावा, जिला उद्योग केंद्र, पर्यटन वभाग, कृ ष वभाग, जिला ग्रामीण वकास एजेंसी आदि सहित अन्य वभाग स्तरों पर भी कौशल वकास कार्यक्रम आयोजित कए जाते हैं। जैसा क रिपोर्ट में पहले चर्चा की गई है, कौशल वकास राज्य सरकार ने भी स्था पत कया है और उन्नयन के लए इसका कौशल वकास मशन है।

1.4.1. उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीपीपी) योजना:

परियोजना-आधारित कार्य योजना बाल श्रम की उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में बाल श्रम राष्ट्रीय नीति, 1987 एक अनिवार्य घटक है। प्रारंभ में, परियोजना आधारित कार्रवाई मुख्य रूप से ताला बनाने वाला अलीगढ़ में शुरु हुई बाद में नौ जिलों में उद्योग- व शष्ट हस्तक्षेप शुरू कए गए थे, मुरादाबाद में चीनी म ी के बरतन उद्योग, फरोजाबाद में कांच उद्योग आदि घरेलू उद्योगों जैसे उद्योग पर ध्यान केंद्रित कया गया था। प्रेक्षक में द्रष्टा की तरह, सभी इंटर्न्स और गति व धयों के लए योजना अव ध के अंत तक, सभी चरणों में 13 बाल श्रम-प्र क्रया देखभाल को कवर कया गया 100 ऐसा करने के लए, एनसीएलआई के काम का वस्तार कया गया था।

10वीं योजना की रणनीति ने बाल श्रम उन्मूलन के कार्यक्रम को एकीकृत और अ भसरण तरीके से जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देकर और अ धक केंद्रित बनाया, । इसने सभी जिलों को बाल श्रम के साथ कवर करने के लए योजना का वस्तार/मौजूदा कया है। परियोजनाओं के पुनर्गणना की पुनर्गणना करें और इसे और अ धक प्रभावी और लक्ष्य बनाएं- बनाने के लए वुवु के अनुभव के आधार पर योजना को संशो धत और पुन: डज़ाइन कया गया करने का महत्व रणनीति को ध्यान में रखते हुए 150 नए जिलों को कवर करना **NCLT** योजना का वस्तार के लए कया गया था।

बाल श्रम प्रवण राज्यों में योजना के कार्यान्वयन से संबं धत मुद्दों की जांच करना। इसके लए एक कमेटी का गठन भी कया गया था। अंतर-मंत्रालयी स मति ने देखा क एनसीएलटी बाल श्रम के उन्मूलन के लए सरकार के पास उपलब्ध सशक्त हस्तक्षेप था। यह राय थी क व भन्न राज्यों/जिलों द्वारा अपनाए जाने

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वाला कोई व शष्ट मॉडल नहीं दिया जा सकता है। क्यों क राज्य स्तरीय प्राथ मकताओं और स्थानीय पर्यावरण में भन्नता है इसे ध्यान में रखते हुए इसे हर जगह दोहराया जाना व्यावहारिक नहीं हो सकता है। सद्भाव महसूस कया क संबं धत जिलों को अपने स्थानीय वातावरण के अनुसार परियोजना को अनुकू लत करना चाहिए।

अनुकूलन की अनुमति दी जानी चाहिए। यह न केवल योजना के संचालन में लचीला है ले कन योजना के व भन्न घटकों से संबं धत नवाचारों की एक वस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। नए प्रयोगों की गुंजाइश भी देगा। स मति द्वारा की गई चर्चाओं के आधार पर इसके बाद संशो धत योजना तैयार की गई। योजना की स्कूल वशेषताएं हैं:

- द क्षण समूह

14 वर्ष की आयु से **NCLT** योजना के लए ल क्षत समूह (निम्न ल खत में से) में कार्य करना नीचे के सभी बच्चे होंगे:

(i) सीएल (बी एंड ए) अ धनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसाय और प्र क्रयाएं; और/अरवा (अनुलग्नक-क)

(ii) व्यवसाय और प्र क्रयाएं, जो उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। हालां क, बाद की श्रेणी में, नियोजन की आलोचना को यथो चत रूप से स्था पत कया जाना है।

- कार्यक्रम का अर्थ

एनसीएलटी कार्यक्रम वशेष कोचों का स्थान, व्यावसायिक प्र शक्षण और व भन्न कई समानताएं जैसे आय और रोजगार सृजन गति व धयों आदि में माता- पता की भागीदारी। हस्तक्षेप के माध्यम से बाल श्रम को संबो धत करता है। इस परियोजना में होने वाली प्रमुख गति व धयाँ के तहत कया जाता है:

(i) खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में बच्चों की पहचान करने के लए सर्वेक्षण;

(ii) जागरूकता पैदा करने के लए और सीएल (डी एंड आर) अ धनियम, 1986 के माध्यम से कारखाने/कार्य वातावरण से बच्चों को हटाना;

(iii) समाज द्वारा स्था पत वस्था पत बच्चों के लए वशेष परियोजना स्कूलों के माध्यम से पुनर्वास;

(iv) मानव संसाधन वकास मंत्रालय और भारत सरकार और राज्य सरकारों के एसएसए। व भन्न वभागों की अन्य वकासात्मक योजनाओं के साथ अ भसरण। एनसीएलटी कार्यक्रम के व भन्न घटकों का बाद के लेखों में वस्तार से वर्णन कया गया है।

- खतरनाक वृ द्ध और प्र क्रयाओं में बच्चों को चह्नित करने के लए सर्वेक्षण:

खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में नियोजित बच्चों के लए सोसायटियों को प्रोजेक्ट करना पहचान करने के लए सर्वेक्षण करना आवश्यक है। ये बच्चे तब प्रोजेक्ट सोसाइटी के लए थे। लक्ष्य समूह बनाएं। चन्हित कए गए बच्चों में से 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के हैं औपचारिक शक्षा को सर्व शक्षा अ भयान के माध्यम से सीधे व्यवस्था की मुख्य धारा में लाना होगा।

- उम्र:

(i)समूह 9 - 14 वर्ष कार्यरत बाल परियोजना वशेष वद्यालय संस्था द्वारा स्था पत के माध्यम से पुनर्वास करना होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, परियोजना स मतियां कम से कम दो सर्वेक्षण आवश्यक हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इस प्रयोजन के लए, योजना अव ध के दौरान रु. प्रति जिले प्रति सर्वेक्षण 2.75 लाख की रा श प्रदान की गई है।

(ii) सीएल (पी एंड आर) अ धनियम, 1986 के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लए कारखाने/कार्य वातावरण से हटाया जाना।

यह महसूस कया गया है क चन्हित जिलों में सीएल (जी एंड आर) अ धनियम, 1986 के प्रावधानों की एक अ धक केंद्रित और प्रभावी प्रस्तुति इसकी जरूरत है। राज्य और जिला स्तर पर अ धनियम को लागू करने के लए ठोस और गंभीर प्रयास कए जाने चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लए, प्रस्तुतिकरण तंत्र को उपयुक्त रूप से सक्षम कया जाना चाहिए। और स क्रय करना होगा। इस वषय में अ धनियम की शुरूआत सुनिश्चित करने में राज्य सरकार भू मका महत्वपूर्ण होगी। खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में बच्चों का नए सरे से प्रवेश इसे रोकना भी जरूरी है। यह बाल श्रम के खलाफ जनता की महत्वपूर्ण चेतना को जगाने के लए कया गया था।

माता- पता, नियोक्ता और कामकाजी बच्चों को संवेदनशील बनाने पर जोर गति व धयों का एक साल का कैलेंडर तैयार करके ऐसा होना चाहिए जिसमें नुक्कड़ नाटकों का मंचन, स्थानीय रे डयो कार्यक्रमों/दीवार होस्टरों के माध्यम से प्रचार सैर और अन्य संबं धत कार्यक्रमों का आयोजन करके हो सकता है और कया जा सकता है।

10वीं योजना के दौरान इस उद्देश्य के लए प्रत्येक एनसीएलटी के संबंध में रु. 1.25 लाख प्रतिवर्ष रा श का बजटीय प्रावधान निर्धारित कया गया है।

यह आशा की जाती है क प्रभावी जागरूकता सृजन गति व धयाँ और बाल श्रम अ धनियम के प्रावधानों की शुरूआत के साथ, बच्चों के प्रवेश को रोकना और अ धनियम भी कारखाने का वातावरण बच्चों के प्रभावी जीवनयापन को संभव बनाएगा।

iii कार्यालय से निकाले गए बच्चों की परियोजना सोसाइटी द्वारा वशेष हो सकती है।
शक्षकों के माध्यम से पुनर्वास।
आयु वर्ग 9 - 14 वर्ष के बच्चे जो खतरनाक व्यवसायों और प्र क्रयाओं में कार्यरत हैं, एक महत्वपूर्ण गति व ध और शुनावास परियोजना प्रा धकरण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हां। परियोजना स मतियों को औपचारिक/अनौपचारिक शक्षा एवं व्यावसायिक प्र शक्षण प्रदान करना।

स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर बाल श्रम के वशेष स्कूल सह-कल्याण केंद्र) आवश्यक है। वशेष वद्यालयों में बच्चों को पूरक अल्पाहार, वजीफा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी प्रदान की जानी हैं।

नसीएलटी योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लए 10वीं योजना में उपरोक्त में से कुछ सु वधाओं में सुधार कया गया है। पोषण घटक को दोगुना कर रु. 2.5 प्रति बच्चा प्रति दिन रुपये से 5 प्रति बच्चा प्रति दिन कया गया है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसके अलावा, वजीफा के सं वतरण की प्र क्रया में भी संशोधन कया गया है। हर महीने बच्चे के बचत खाते में जमा होती है रा श, ले कन निकासी लाभार्थी द्वारा मेनस्ट्री मंग के समय ही की जा सकती है।

योजना में स्वास्थ्य पहलू और व्यावसायिक प्र शक्षण को काफी मजबूत कया गया है। कहां जहां तक स्वास्थ्य देखभाल का संबंध है, परियोजना स मतियां अब प्रत्येक 20 छात्रों के लए एक हैं। डॉक्टर ने रु. 5,000 / - प्रति माह रुपये की सम्मानजनक दर पर। एक ऐसा वशेष स्कूलों में नामां कत बच्चों के लए प्रभावी और निय मत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले संस्थागत तंत्र देखभाल को सक्षम करता है या नई योजना में शा मल होने की दृष्टि से शा मल कया गया है गया। वशेष स्कूलों में परियोजना स मतियों में नामां कत प्रत्येक बच्चे के संबंध में भार, ऊंचाई आदि सहित बच्चे के वकासात्मक पहलुओं से संबं धत रिकॉर्ड बनाए रखना। इसके लए एक स्वास्थ्य ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। परियोजना समाज शा मल च कत्सकों को निय मत रूप से बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए और आत्म-स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में लक्ष्य बनाना चाहिए।

- जानने योग्य मुख्य बातें:

अ धकांश कौशल वकास सर्वेक्षण जिले में उपलब्ध कौशल वकास पर आधारित हैं। 10वीं योजना के तहत प्रत्येक वशेष स्कूल के लए एक व्यावसायिक प्र शक्षक प्रावधान के अलावा, व्यावसायिक कौशल / क्षेत्र में व्यावसायिक (लाल) क्षेत्र में औद्यो गक रूप से अब प्रत्येक एनसीएलटी जिले में प्र शक्षकों और बच्चों के प्र शक्षण के लए एक मास्टर होगा। ट्रेनर शा मल कया जा सकता है। प्रत्येक एनसीएलटी जिले के लए एक मास्टर ट्रेनर मानदेय के रूप में रु. 5000/- प्रति माह की रा श का प्रावधान हो गया है।

वपणन योग्य कौशल की पहचान करने और प्र शक्षण आयोजित करने के लए परियोजना स मतियां व्यावसायिक प्र शक्षकों/बच्चों को मॉड्यूल/पाठ्यचर्या सामग्री वक सत करना और प्र शक्षण देना स्थानीय आईटीआई/अन्य वोकल संस्थानों से मास्टर रेनर/व्याख्याता प्रदान करने के लए (शल्पकार) को शा मल करना होगा।

साथ ही प्रोजेक्ट सोसायटियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शक्षा की गुणवत्ता शक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से दसवीं योजना अव ध के दौरान दो बार शै क्षक प्र शक्षकों का प्र शक्षण आयोजित एवं प्रावधान कया गया है। इस उद्देश्य के लए रु. 1,500/- प्रति शक्षक प्रति प्र शक्षण अलग से स्था पत कया गया है।

iv मानव संसाधन वकास मंत्रालय और भारत सरकार और राज्य सरकारों के एसएसए- व भन्न वभागों की अन्य वकास योजनाओं के तालमेल के साथ 10वीं योजना में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास शुरू कए गए थे और साक्षरता वभाग की सर्व शक्षा अ भयान की योजना से जोड़ा जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लए क 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे एसएसए के साथ घनिष्ठ और समन्वित प्रयास में शा मल हैं, अ शक्षा, गरीबी और सामाजिक पछड़ापन बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। इस लए, कामकाजी बच्चों के माता- पता के शैक्ष णक मानकों को ऊपर उठाना आवश्यक है। बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों के जिला स्तरीय क्रयान्वयन के अंतर्गत व भन्न वकासात्मक/आय सृजन योजनाओं के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

साथ तालमेल कया जा सकता है। ग्रामीण वकास वभाग, स्व-रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में माता- पता को शा मल कया गया,जा सकता है।

उपरोक्त उद्देश्यों के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर महत्वपूर्ण गति व धयों के अ भसरण के लए ठोस, केंद्रित और कठोर पर्याप्त स्थान प्रयास करने की जरूरत है। इसी प्रकार स्वास्थ्य, महिला एवं अन्य वभागों के बच्चे वकास, सामाजिक कल्याण, आदिवासी कल्याण और श्रम जैसी अन्य चल रही योजनाओं के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के लक्ष्यों की अंतिम उपलब्धि के लए अ भसरण महत्वपूर्ण होगा।

1.5. निष्कर्ष:

कम आय वाले देशों में बाल श्रम व्यापक है, क्यों क बच्चे (माता – पता) उनकी मदद करते हैं। परिवार के खेत या व्यवसाय में और घरेलू काम में, वेश्यावृत्ति के लए मजबूर, उनकी मदद करते हैं। सैनिकों के रूप में लड़ रहे हैं या गुलामों ने लोक प्रय पर कब्जा कर लया है, ले कन ये घृ णत काम करने की स्थिति दुर्लभ हैं। बेशक, उनकी दुर्लभता इनके खलाफ तत्काल, सावधानीपूर्वक ल क्षत नीति के मामले को कम नहीं करता है।

बाल श्रम के सबसे बुरे रूप। ले कन सामान्य घटना के बारे में बाल श्रम का क्या कया जाना चाहिए? सीधे ध्यान देने की आवश्यकता के लए शायद सबसे मजबूत मामला निम्न-आय वाले वश्व में व्याप्त बाल श्रम के प्रकार गरीब परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं। खुद अपने व्यवहार से इन परिवारों से पता चलता है क वे अपने नहीं चाहते हैं काम करने वाले बच्चे: जैसे-जैसे परिवार अमीर होते जाते हैं, बाल श्रम में बहुत तेजी से गरावट आती है और बच्चों की आय पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। प्रतिबंध, खासकर जब अ धकांश बच्चे अपने माता- पता के लए पारिवारिक खेतों में काम करते हैं। गैर अनुपालन अनिवार्य स्कूली शक्षा कानूनों के साथ एक बड़ी समस्या बनी हुई है आज की वकासशील दुनिया (क्रुएगर, 1997; ब्राउन 2001)। इस बात की कोई गारंटी नहीं है क ऐसी नीतियां स्थानीय श्रम बाजारों को बदल देंगी एक तरह से जिससे परिवार की आय में वृ द्ध होती है, और इस प्रकार बच्चों के लए आ र्थक प्रोत्साहन मलता है। बाल श्रम पर प्रतिबंध के मामले को अक्सर एक के रूप में तैयार कया जाता है, एका धक संतुलन समस्या है। उदाहरण के लए, बाल श्रम बनी रहती है क्यों क बाल श्रम वयस्क मजदूरी को कम करता है, जिससे बाल श्रम आवश्यक हो जाता है। हालां क, दंडात्मक उपाय वास्तव में बाल श्रम को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लए, बसु (2003) से पता चलता है क बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर वास्तव में जुर्माना लगाया जा सकता है। बाल श्रम बढ़ाओ, जुर्माना बच्चों को रोजगार देने की अपे क्षत लागत बढ़ाता है, इस लए फर्मों को कम वेतन पर बच्चों को नियुक्त करना ही लाभदायक लगता है, और अ धक बच्चों को परिवार की निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लए काम करना पड़ता है। इसके अलावा, प्रतिबंध वास्त वक दुनिया में बाल श्रम पर आम तौर पर केवल कुछ अपेक्षाकृत छोटे प्रकारों पर लागू होता है। बाल श्रम, जैसे कसी कारखाने में वेतन के लए काम करना, न क बड़ी श्रे णयों जैसे उनके माता- पता या बच्चों द्वारा अवैतनिक घरेलू काम में नियोजित बाल श्र मक। यह है यह कल्पना करना मुश्किल है क वास्त वक वश्व श्रम बाजार वनियमन पर्याप्त रूप से प्रभा वत कर सकता है। बाल श्रम बाजार में आवश्यक के रूप में मजदूरी पर सामान्य संतुलन प्रभाव पड़ता है। बच्चों को रोकने से एक हाई-प्रोफाइल नौकरी में काम करना बच्चों को मजबूर करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है नियोक्ता बदलें - शायद बदतर के लए। या तो प्रतिबंध लगाने की को शश करना बाल श्रम या अनिवार्य स्कूल उपस्थिति उपरोक्त समस्याओं के अधीन

हैं। यह भेद करना मुश्किल है क क्या ये उपाय वास्त वक दर्शाते हैं गरीब देशों में बच्चों की भलाई में रु च या क्या वे न्यायसंगत हैं संरक्षणवाद के लए एक सुखद बहाना है । कुल मलाकर, एक मजबूत मामला बनाना मुश्किल है ।

संदर्भ:

1. अफरीदी, फरजाना, अ भरूप मुखोपाध्याय, सोहम साहू (2013)। "भारत में महिला श्रम बल भागीदारी और बाल शक्षा: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से साक्ष्य।"
2. अग्रवाल, सुरेश चंद (2004)। "चयनित राज्यों में बाल श्रम और घरेलू वशेषताएं: एनएसएस 55वें दौर से अनुमान," आ थक और राजनीतिक साप्ताहिक, 10 जनवरी, पीपी। 173-85।
3. एलायस, फेडेरिको ब्लैंको और फ्रैंक हेजमैन। (2008)। "बाल श्रम और शक्षा: SIMPOC सर्वेक्षण से साक्ष्य।" काम करने वाला कागज़। आईपीईसी-आईएलओ: जिनेवा.
4. अपर्णा र व (2001)। "लेबल के साथ बाल श्रम का मुकाबला-रगमार्क का मामला", आ थक और राजनीतिक साप्ताहिक, मार्च 31.
5. अरोड़ा, आकर्ष और एस.पी. संह (2015)। उत्तर प्रदेश में सामाजिक और धा र्मक समूह में एक अंतर-क्षेत्रीय वश्लेषण गरीबी। वॉल्यूम। 50, नंबर 52।
6. बर्गे, संध्या, एट अल।, (1998)। फ़रोज़ाबाद - उत्तर प्रदेश के कांच-चू ड़याँ उद्योग में बाल श्रम: एक आ थक वश्लेषण, भारत के खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के अर्थशास्त्र में, एंकर, रिचर्ड, एट अल द्वारा संपादित, हिंदुस्तान प्रकाशन निगम, नई दिल्ली, पीपी। 48-67 .
7. बासुमतारी, रूपोन (2012)। "भारतीय राज्यों और केंद्र शा सत प्रदेशों में स्कूल छोड़ने वाले: एक अर्थ मतीय अध्ययन।" सामाजिक वज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल, वॉल्यूम। 1(4), 28-35.
8. बेट्चरमैन, गॉर्डन, जीन फेरेस, एमी लुइनस्ट्रा, और रॉबर्ट प्राउटी (2004)। "बाल श्रम, शक्षा और बाल अ धकार," वश्व बैंक: वा शंगटन डी.सी.
9. भ ाचार्य, एम. एस (2007)। "सागा ऑफ़ एगनी एंड शेम: चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एब्यूज़ इन इं डया एंड सार्क कंट्रीज़", नई दिल्ली, भारत: डसेंट बुक्स।
10. भौ मक, शरित के. (2015)। "चाय बागान श्र मकों की रहने की स्थिति," आ थक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। एल।, नंबर 46-47, पीपी। 29-32
11. बिगगेरी, एम, ग्वारसेलो, एल., ल्यों, एस. और रोसाती, एफ.सी. (2003)। "निष्क्रिय' बच्चों की पहेली: न तो स्कूल में और न ही आ थक गति व ध का प्रदर्शन: छह देशों के साक्ष्य" बच्चों के कार्य परियोजना को समझना व र्किंग पेपर सीरीज
12. बुर्रा, नीरा (1987). "खुरजा, उत्तर प्रदेश के म ी के बर्तनों के उद्योग में बाल श्रम पर रिपोर्ट," (माइ मयो), दानिडा, नई दिल्ली।
13. बुर्रा, नीरा (2001)। "सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और घरेलू व्यवहार: भारत में बा लका श्रम।" आ थक और राजनीतिक साप्ताहिक। वॉल्यूम। 36, नंबर 5/6। फ़रवरी 3-16, पीपी. 481+483-488.
14. जनगणना रिपोर्ट (2001)। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय
15. जनगणना रिपोर्ट (2011)। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महापंजीयक का कार्यालय और जनगणना आयुक्त, भारत

16. चुबायांगर, टी। (2013)। "प्रवासी और तस्करी वाले बच्चे खतरनाक रोजगार में: नागालैंड का मामला।" वी.वी. गरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
17. चुघ, सुनीता (2011)। "माध्य मक शक्षा में ड्रॉपआउट: दिल्ली की म लन बस्तियों में रहने वाले बच्चों का एक अध्ययन।" NUEPA समसामयिक पेपर 37. NUEPA: नई दिल्ली
18. क्राई (बाल अ धकार और आप)। भारत में बाल श्रम पर अवधारणा पत्र। www.cry.org.
19. द्रेज, जे. और ए. सेन (2013)। एन अनसर्टेन ग्लोरी: इं डया एंड इट्स कॉन्ट्रा डक्शन्स। नई दिल्ली: एलन लेन और पेंगुइन
20. एकपे-आउट, उफोमउमोरन (2009)। "गेटिंग देम यंग: चाइल्ड लेबर इन इकोटेएकपेन फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।" यहां उपलब्ध है: https://books.google.co.in/books
21. वेलेरिया (2011)। "बीजिंग के बाद सोलह साल: समय-उपयोग डेटा संग्रह के लए नई नीति एजेंडा क्या हैं" नारीवादी अर्थशास्त्र, वॉल्यूम। 17, नंबर 4, पीपी. 215-238
22. गांगुली, एनाक्षी (2005)। "क्या हमें अपने बच्चों की पीठ पर 'मेक इन इं डया' करना चाहिए?", का फला (http://kafila.org/2015/07/12/ should-we-make-in- से डाउनलोड कया गया) इं डया-ऑन-द-बैक-ऑफ-अवर- चल्ड्रन-एनाक्षी-जॉर्ज, एलेक्स और समीत पांडा (2015)। "बाल श्रम कानून संशोधन: सामाजिक गतिशीलता पर ब्रेक लागू करना," आ र्थक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम एल।, नंबर 38, पीपी 16-19
23. घोष, आशीष, और शेखर, हेलेन आर. (2003)। "रामपुर के चाकू बनाने और करछोभ कार्य में बाल श्रम का स्थितिजन्य वश्लेषण," वी.वी. गरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, और वकासशील देश अनुसंधान केंद्र, दिल्ली वश्व वद्यालय, (अप्रका शत रिपोर्ट)
24. घोष, आशीष, और सेकर, हेलेन आर., (2000)। "बाल श्रम इन मुरादाबाद होम-बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द वेक ऑफ़ लेजिस्लेशन," सीरीज़ नंबर 013/2000, वी.वी. गरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
25. ग्लिंड, हैंस वैन डे. (2010)। "माइग्रेशन एंड चाइल्ड लेबर: एक्सप्लोरिंग चाइल्ड माइग्रेंट वेलनरेबि लटीज़ एंड वेज़ ऑफ़ द चल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड।" काम करने वाला कागज़। आईपीईसी: जिनेवा
26. भारत सरकार (2007)। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मूल्यांकन, सीएमएस, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाल श्रम केंद्र, 2008 में, वी.वी. गरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, एमओएलई, भारत सरकार को प्रस्तुत
27. भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमएल एंड ई) (2015): प्रेस वज्ञप्ति 13 मई, "सीएलपीआरए संशोधन वधेयक 2012 में सामाजिक संशोधन को हटाने की स्वीकृति," http://164.100.47.134/ lsscommittee/Labour/15_Labour_40.pdf , 28.9.2015 को देखा गया
28. भारत सरकार। लोकसभा स चवालय (2013)। बाल श्रम। संसद पुस्तकालय और संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (ला र्डस) सदस्य संदर्भ सेवा संदर्भ नोट संख्या 10/आरएन/रेफरी/2013
29. ग्रम्सरुड, (2001)। बाल श्रम का मापन और वश्लेषण: पद्धति संबंधी मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा चर्चा पत्र श्रृंखला, संख्या 0123, सामाजिक सुरक्षा इकाई, मानव वकास नेटवर्क, वश्व बैंक: वा शंगटन डीसी
30. हिमांशु (2011)। "भारत में रोजगार के रुझान: एक पुन: परीक्षा," आ र्थक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 46, नंबर 37, पीपी 43-59
31. हिरवे, इंदिरा (2010)। " वकासशील देशों में समय-उपयोग सर्वेक्षण: एक आकलन।" रानिया एंटोनोपोलोस और इंदिरा हिरवे (2010) में, अवैतनिक कार्य और अर्थव्यवस्था, लंग, समय का उपयोग और गरीबी, पालग्रेव:
32. हिरवे, इंदिरा और सनी जोस (2011)। "अंडरस्टैं डंग वूमेन वर्क यूजिंग यूजिंग टाइम यूज़ स्टैटिस्टिक्स: केस ऑफ़ इं डया," फे मनिस्ट इकोनॉ मक्स, वॉल्यूम। 17, नंबर 4, पीपी. 67-92

33. मानव वकास रिपोर्ट (2012)। ऑक्सफोर्ड यूनिव र्सटी प्रेस, न्यूयार्क। आईएलओ (2013)। इं डया लेबर मार्केट अपडेट, आईएलओ कंट्री ऑ फस फॉर इं डया http://www.ilo.org/ से एक्सेस कया गयाwcmsp5/groups/---asia/---ro-bankok/ srnonew_delhi/documents/genericdocument/wcms_232565. पीडीएफ (22.8.2014 को एक्सेस कया गया)

34. लो। (2015)। बाल श्रम पर वश्व रिपोर्ट 2015: युवा लोगों के लए अच्छे कार्य का मार्ग प्रशस्त करना। जिनेवा: ILO.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1973): C-138, न्यूनतम आयु कन्वेंशन 1973, (No138) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:: NO::P12100_ILO_CODE:C138, http://www.ilo। org/wcmsp5/groups/public—ed_norm/— घोषणा/दस्तावेज़/प्रकाशन/wcms_decl_fs_46_ en.pdf,

35. जैन, देवकी (2008)। "इंटीग्रेटिंग अनपेड वर्क इन मैक्रोइकॉनॉ मक्स: सम इं डयन एक्सपीरियंस," भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में समय के उपयोग के सर्वेक्षण की मुख्यधारा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट में, पीपी 168-87, महिला और बाल वकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

36. जयचंद्रन, उषा. (2001)। "बच्चों को स्कूल ले जाना," इकोनॉ मक एंड पॉ लटिकल वीकली, 1 सतंबर, पीपी। 3347-3350

37. झा, पी. और पार्वती पी. (2010)। " शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009: गंभीर अंतराल और चुनौतियां," आ र्थक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 45, नंबर 13 (मार्च 27-अप्रैल 2) पीपी। 20-23।

38. जोसेफ, अम्मू, (1996)। "कर्नाटक में बाल श्रम का एक प्रोफाइल," महिला एवं बाल वकास वभाग, कर्नाटक, पीपी. 39-40

39. काक, एस एंड पति, बी (2012)। (ईडीएस) "भारत में बाल श्रम का उन्मूलन: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना," एनस्लेव्ड इनोसेंस में प्रका शत - द क्षण ए शया में बाल श्रम, प्राइमस बुक्स, दिल्ली, 2012, पीपी। 291-305.

40. कालेत्स्की, ए लजाबेथ और निशीथ प्रकाश। (2014)। क्या अल्पसंख्यकों के लए राजनीतिक आरक्षण बाल श्रम को प्रभा वत करता है? भारत से सबूत।" डस्कशन पेपर नंबर 8212। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ लेबर (IZA): बॉन।

41. कोठारी, एस (1983)। "उन मा चस की ती लयों पर खून है। शवकाशी में बाल श्रम," आ र्थक और राजनीतिक साप्ताहिक, 18:1191-1202।

वेबसाइटें:

http://www.cry.org/resources/pdf/ConceptPaper_ChildLabour.pdf
http://www.ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=2&lid=131&sublinkid=176
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://www. indianmutinies.com/child-labour-in-kerala/
http://unicef.in/State/Bihar.
(2013): Ministry of Women and Child Development (MWCD): National Policy for Children 2013, p 2, http://wcd.nic.in/icpsmon/pdf/npc2013d td29042013.pdf, viewed on 12 August 2015